न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
17 / 22	एफएसएस एक्ट, 2006	21 / 10 / 2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. मुकेश कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल उम्र 46 वर्ष जाति महाजन निवासी मैन सवाई माधोपुर रोड बाटोदा तहसील बामनवास (एफबीओ व मालिक) –फर्म – मुकेश मिष्ठान भण्डार ,मैन सवाई माधोपुर रोड बाटोदा तहसील बामनवास।
–अनियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 29.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदक के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा दिनांक 30.10.2021 को मैसर्स मुकेश मिष्ठान भण्डार , सवाई माधोपुर रोड बाटोदा का निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने अपना परिचय देकर खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां। विक्रेता ने अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन मौके पर दिखाया।

श्रीमान् अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा नमूना सं0 एच–2137 खाद्य वस्तु पनीर की उपलब्धता करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार दिनांक 30.10.2021 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन के द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 5 किलोग्राम पनीर एक स्टील की ट्रे मे ब्रिकी हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

विक्रेता की उक्त 5 किलोग्राम पनीर में से 1 किलो पनीर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता मुकेश कुमार मंगल को 200/– (दो सौ रुपए) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन द्वारा खरीदशुदा 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

एवं प्रत्येक बोतल में परीक्षक फार्मेलीन की 20–20 बूदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम एयरटाईट बन्द किये गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोड कमांक एच–2137 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिक्षक फॉर्मिलिन की मात्रा आदि दर्ज कर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2137 नियमानुसार चारों बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह से नीचे,दाये,बांये सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूना लिखकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।

अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन द्वारा मौके पर दिनांक 30.10.2021 नमूनीकरण की कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। जिसको पढकर ,सुनकर,समझकर विकेता मुकेश कुमार मंगल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के एक खाकी कागज में लेपटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाकर चारों और से मजबूत धागे से बांधकर चार जगह सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को श्री गजानन्द लोघा वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। सील बन्द नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लेपटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाकर चारों और से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2021/2521 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1613/एक्ट/2021 /1501 दिनांक 17.11.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या ए एलएस/1613/एक्ट/2021 /1501 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक (Substandard) खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, जिला-
सत्यमेव जयते

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त दुकानदार दूसरे दुकानदारों से माल खरीदकर थोड़ा मुनाफा कमाकर बेचता है। ना कि पनीर बनाता है। अभियुक्त कोई मिलावट का कार्य नहीं करता है। वास्तविकता यह है कि पनीर बनाने के लिये दूध को ज्यादा गर्म करने से उसमें फैट की मात्रा कम हो जाती है। प्रार्थी जवाबदार ने कोई मिलावट नहीं की है। प्रार्थी अन्य दुकानदारों से पनीर क्रय कर विक्रय का कार्य करता है, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1613/एफ/2021 /1501 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक **(Substandard)** खाद्य पनीर का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि वह पनीर का निर्माण नहीं करता है। जबकि अन्य दुकानदारों से पनीर क्रय कर उसका विक्रय करता है। लेकिन उक्त तथ्य के संबंध में अभियुक्त ने अन्य दुकानदारों से क्रय पनीर का कोई बिल/दस्तावेज न्यायालय समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे सिद्ध हो सके कि अभियुक्त पनीर का निर्माण नहीं करता है तथा यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्तगण को 50,000 (पचास हजार) रू० की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी